

OFFICE OF THE DIRECTOR (MUNICIPAL HOUSING)
5TH FLOOR, ROOM NO. 5008
NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
PALIKA KENDRA : NEW DELHI

No. SAA(G)/DD(MH)/2008/31 /P

Dated: 30 Oct 08
31/10/08

CIRCULAR

Applications on prescribed forms are invited for formation of seniority list for allotment of Type-I to Type-V municipal quarters without choice of locality/floor etc. from the municipal employees who have completed 10 years of regular service upto 31.10.08 including officials/officers on deputation with NDMC who are interested in the allotment of municipal residence and are drawing basic pay in the following pay scales as on 31.08.08.

Type of Residence	Pay Scales (Vth pay Commission)	Pay Scales (S.S Scales)
I.	Less than Rs. 3,050/- p.m.	Less than Rs. 4000/-p.m. *
II.	Rs.3,050/- to Rs. 5,499/- p.m.	Rs. 4000/- to Rs. 5499/- p.m. *
III.	Rs.5,500/- to Rs. 8,499/- p.m.	Rs. 5,500/- to Rs. 84,99/- p.m. *
IV.	Rs.8,500/- to Rs. 11,999/- p.m.	Rs.8,500/- to Rs. 11,999/- p.m. *
V.	Rs. 12000/- p.m. and above	Rs. 12000/- p.m. and above. *

(*) subject to revision according to classification made in VI CPC.

Prescribed application forms will be available from the reception of Palika Kendra, New Delhi and can be obtained on all working days between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. w.e.f 01.11.08 to 30.11.2008 as well as can be downloaded from NDMC website www.ndmc.gov.in. The application form duly filled in by the applicant should reach the Municipal Housing Section, 5th Floor Palika Kendra latest by 30.11.2008. This date may be strictly adhered to. Applications reaching the Municipal Housing Section after the said date will not be entertained/considered. It will be the responsibility of the applicant concerned to see that his/her application duly verified by the Establishment Branch reaches the Municipal Housing Section on or Before 30.11.08 positively.

The employees, whose names exist in the current Seniority List for allotment of Municipal residence, should also apply afresh on the prescribed form if they are interested in the allotment of the municipal residence, but the condition of 10 years regular service should be adhered to. If they fail to do so, it will be presumed that they are no longer interested in the allotment of municipal quarters and their names will not be considered.

The allotment of municipal residence will be made on license basis and license fee will be recovered as per the fee prescribed by Director of Estate, Govt. of India and adopted by the Council. Other terms and conditions will be the same as contained in the allotment of NDMC residential rules as are in force from time to time. The officers/officials who are presently in the occupation of below category quarters and are interested in the allotment of higher category according to their entitlement, may also apply on the prescribed forms without any choice for floor/locality etc. otherwise they will not be considered for allotment of higher category quarters, till seniority list so prepared remains valid.


(Mamta R Agarwal)
Director (Municipal Housing)

Copy to the following for information and giving wide publicity amongst the staff under them:-

1. F.A. with 2 spare copies
2. Chief Engr. (Civil)—I with 10 spare copies
3. Chief Engr. (Civil)—II with 10 spare copies
4. Chief Engr. (Elect)—I with 10 spare copies
5. Chief Engr. (Elect)—II with 10 spare copies
6. Chief Architect
7. MOH with 10 spare copies
8. Dir. (Commercial) with 5 spare copies
9. Dir. (Tax) with 10 spare copies
10. Dir. (Hort.) with 10 spare copies
11. Dir. (Edn.) with 10 spare copies
12. Dir. (P) with 10 spare copies
13. Dir. (Welfare/MH) with 10 spare copies
14. Dir. (Accounts) with 10 spare copies
15. Dir. (Enf.) with 5 spare copies
16. Dir. (IT)
17. Dir. (Coordination) with 15 spare copies
18. Dir. (Vigilance) with 2 spare copies
19. L.A. with 5 copies
20. Chief Auditor with 5 copies
21. Dir. (Med. Service) with 5 spare copies
22. Dir. (General Administration) with 2 spare copies
23. Incharge Hindi Section with 5 spare copies
24. Chief Security Officer 1
25. P.S to Chairperson 3
26. P.S to Vice Chairperson 3
27. All members 3
28. P.S to Secretary 3
29. ICCRB
30. Notice Board of Palika Kendra
31. Notice Board of Bhagat Singh Place
32. Notice Board of Vidyut Bhawan
33. Notice Board of Mohan Singh Place
34. Notice Board of Pragati Bhawan
35. Navyug School Society
36. Chief Fire Officer

निदेशक (पालिका आवास) का कार्यालय

कमरा नं. 5008, पंचम तल,
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र : नई दिल्ली

क्रमांक. व.स.ए.(जी).उप निदेश(पा0आवास)/2008/30/पी

दिनांक 30.10.08

परिपत्र

न0दि0न0पा0परिषद् की नियमित सेवा में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके परिषद् कर्मचारियों सहित परिषद् आवास के आवंटन हेतु इच्छुक न0दि0न0पा0परिषद् में प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों / अधिकारियों से जो दिनांक 31.8.2008 को निम्नलिखित वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, श्रेणी 1 से श्रेणी 5 तक क्षेत्र/तल के विकल्प के बिना आवंटन के लिए वरिष्ठता सूची के गठन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवास की श्रेणी	पाँचवे वेतन आयोग में मूल वेतन	शि0शि0 वेतनमान में मूल वेतन
i	₹ 3050/-प्र0मा0 से कम	₹ 4000/-प्र0मा0 से कम (*)
ii	₹ 3050/-से ₹ 5499/- प्र0मा0 तक	₹ 4000/-से ₹ 5499/- प्र0मा0 तक (*)
iii	₹ 5500/-से ₹ 8499/- प्र0मा0 तक	₹ 5500/-से ₹ 8499/- प्र0मा0 तक(*)
iv	₹ 8500/-से ₹ 11,999/-प्र0मा0 तक	₹ 8500/-से 11,999/- प्र0मा0 तक(*)
v	₹ 12000/-व अधिक प्र0मा0 तक	₹ 12000/-₹ व अधिक प्र0मा0 तक(*)

(*) पाँचवे वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार -

निर्धारित आवेदन प्रपत्र दिनांक 1.11.2008 से 31.11.2008 तक सभी कार्यदिवसों में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक पालिका केन्द्र स्थित स्वागत कक्ष में वितरण हेतु उपलब्ध होंगे तथा इसके साथ-साथ इन्हें न.दि.न.पा.परिषद् वेबसाइट www.ndmc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रार्थी द्वारा भरे आवेदन प्रपत्र दिनांक 30.11.2008 तक पालिका आवास विभाग, पंचम तल, पालिका केन्द्र में पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि का सख्ती से अनुसरण किया जाये। उक्त तिथि के उपरान्त पहुँचने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। यह संबंधित कर्मचारी (प्रार्थी) का उत्तरदायित्व है कि स्थापना अनुभाग से सत्यापित उनका आवेदनपत्र प्रत्येक स्थिति में दिनांक 30.11.08 या उससे पूर्व पालिका आवास अनुभाग में पहुँच जायें।

उन कर्मचारियों को भी या जिनके नाम पालिका आवास के आवंटन हेतु वर्तमान वरिष्ठता सूची में विद्यमान है, यदि वे पालिका आवास के आवंटन के इच्छुक हैं तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर नये सिर से आवेदन करना चाहिए, लेकिन 10 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह पालिका क्वार्टर के आवंटन के इच्छुक नहीं हैं तथा उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

पालिका आवास का आवंटन लाईसेंस के आधार पर किया जायेगा एवं लाईसेंस शुल्क की राशि भारत सरकार के सम्मदा निदेशक द्वारा निर्धारित एवं परिषद् द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार वसूल किया जायेगा। अन्य नियम व शर्तें न.दि.न.पा.परिषद् आवासीय अधिनियम में निहित तथा समय-समय पर लागू अनुसार होंगी। नये अधिकारी/कर्मचारी निम्न श्रेणी क्वार्टरों में अधिवासित है तथा अपनी पात्रता के अनुरूप उच्च श्रेणी के आवंटन हेतु इच्छुक है, वे भी क्षेत्र/तल के विकल्प बिना निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करें अन्यथा उनके संबंध में इस प्रकार तैयार की गई वरिष्ठता सूची के वैध रहने तक उच्च श्रेणी के आवंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

ममता
30.10.08

(ममता आर0अग्रवाल)

निदेशक (पालिका आवास)



घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने परिपत्र सं० ३०/स०ए(क्यू)/पा.आ./डी.....पी/डीडी(पा०अ०) दिनांक.....के सभी विषयवस्तु तथा क्वार्टर के आवंटन के लिए शासित सभी नियम/विनियम/अनुदेशों का भी पठन कर लिया है तथा यह घोषित करता हूँ कि मुझे किया जाने वाला अथवा पहले से किया गया आवंटन लाइसेंस आधार पर होगा। बिना किसी कारण के लाइसेंस प्रदाता की इच्छा पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा अन्य नियम एवं शर्तें पूर्वोक्त रहेंगी जैसाकि इस संबंध में समय समय से न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा जारी निर्देशों तथा एतदोपरान्त समय-समय पर लागू की गई अथवा तथा वर्तमान में लागू न.दि.न.पा.परिषद् आवासीय नियमावली के आवंटन में निहित है। मैं जब तथा जैसे भी कार्यस्थल में परिवर्तन होता है, इसकी तथा कार्यालय पते की सूचना तदनुसार नगरपालिका आवास विभाग को सूचित करूँगा। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बिना किसी आगामी पत्र-व्यवहार के फाइल कर दिया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
(मोबाइल)दूरभाष सं०(यदि है)

.....
(आवेदक की स्थापना इकाई द्वारा पूर्ण किया जाए)

क्रमांक.....दिनांक.....

आवेदनपत्र में दिये गये विवरण को संबंधित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया है तथा सही पाया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वह विभाग में अस्थाई/स्थायी पदपर नियुक्त है।

निदेशक (पालिका आवास) को अग्रसरित

मुहर के साथ सत्यापित करने वाले अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर

वेतनमानों के पात्रता श्रेणी :

आवास का प्रकार	वेतनमान (पाँचवा वेतन आयोग)	वेतनमान (शिव शंकरन)
I	3050/₹० प्रतिमाह से कम	4000/₹० प्रतिमाह से कम
II	3050/₹० से 5499/-₹० प्रतिमाह तक	4000/-₹० से 5499/-₹० प्रतिमाह तक
III	5500/-₹० से 8499/-₹० प्रतिमाह तक	5500/-₹० से 8499/-₹० प्रतिमाह तक
IV	8500/-₹० से 11,999/-₹० प्रतिमाह	8500/-₹० से 11,999/-₹० प्रतिमाह
V	12000/-₹० व अधिक प्र०मा० तक	12000/-₹० व अधिक प्र०मा० तक

(*) छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन पर आधारित

पावती

आवेदक का नामकर्मचारी कोड सं०.....

विभाग सहित पद संज्ञा.....

तथा मैं जब तथा जैसा भी कार्यस्थल में परिवर्तन होता है इसकी तथा तदनुसार कार्यालय पते की सूचना नगरपालिका आवास विभाग को सूचित करूँगा।

प्राप्त आवेदन पत्र.....दिनांक के साथ हस्ताक्षर।

